दिनाक 13.01.2014 को आयोजित जिला स्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक बैठक मे लिए गए निर्णय

| क्र0 | लिए गए निर्णय का सारांश | सम्बद्ध पदाधिकारी |
| --- | --- | --- |
| 1. | प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा द्वारा बताया गया कि एम0जे0सी0 बाबा कुशेश्वरनाथ महादेव बनाम राज्य में याचिकाकर्त्ता के आवेदन पर जिलाधिकारी, दरभंगा को आदेश पारित करना है। आदेश का प्रारूप तैयार कर उपस्थापित किया गया है। उन्हें इस सप्ताह में तथ्य विवरणी तैयार कर कारणपृच्छा दाखिल करवाने का निदेश दिया गया।<br>एम0जे0सी0 महेश कुमार मंडल बनाम राज्य जो चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति से संबंधित है, में इस सप्ताह में तथ्य विवरणी तैयार करवाते हुये कारणपृच्छा दाखिल करने का निदेश स्थापना उप समाहर्त्ता, दरभंगा को दिया गया।<br>एम0जे0सी0 महरानी अधिरानी काम सुन्दरी बनाम राज्य सरकार, जो श्यामा मंदिर न्यास समिति के संबंधित है, के संबंध में प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा द्वारा बताया गया कि इस मामले में तथ्य विवरणी अनुमोदन हेतु भेजा गया है। इस सप्ताह में कारणपृच्छा दाखिल करवाने का निदेश उन्हें दिया गया।<br>एम0जे0सी0 सीता देवी बनाम राज्य के मामले में तथ्य विवरणी अनुमोदित करा कर अंचल अधिकारी, हायाघाट को कारणपृच्छा दाखिल करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को निदेश दिया गया कि वे अंचलाधिकारी, हायाघाट से ओथ नम्बर प्राप्त करें।<br>एम0जे0सी0 भुवनेश्वर यादव बनाम राज्य के मामले की सुनवाई दिनांक 06.01.14 को हो चुकी है। इस मामले में अब जिलाधिकारी के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं करनी है। सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार को इस मामले में अग्रेतर कार्रवाई करनी है।<br>एम0जे0सी0 जय प्रकाश यादव बनाम राज्य, जो अधीक्षक, उप कारा, बेनीपुर से संबंधित है, के मामले में जिला विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस मामले में अधीक्षक, उप कारा द्वारा तथ्य विवरणी विभाग को उपलब्ध करायी जा चुकी है, जिसके आधार पर कारणपृच्छा दाखिल करने की कार्रवाई की जायेगी।<br>एम0जे0सी0 रतीश कुमार झा बनाम राज्य का मामला जिला स्थापना शाखा में भेजा गया है, इस संबंध में स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि संबंधित सी0डब्लू0जे0सी0 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार जिलाधिकारी, दरभंगा को रिजेन्ड एवं स्पीकिंग आर्डर पारित करना है, जिसके लिये विभाग द्वारा एक प्रपत्र भी उपलब्ध कराया गया है एवं इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्हें निदेश दिया गया कि इस सप्ताह में इस वाद में तथ्य विवरणी तैयार करते हुये कारणपृच्छा दाखिल करवाने की कार्रवाई करें।<br>एम0जे0सी0 रामदेव भगत बनाम राज्य सरकार अंचलाधिकारी, सिंहवाड़ा से संबंधित है। इस संबंध में दाखिल सी0डब्लू0जे0सी0 वाद में पारित आदेश के आलोक में अंचलाधिकारी, सिंहवाड़ा द्वारा आवेदक के जमीन का सीमांकन कर अतिक्रमण हटाया जा चुका है, परन्तु अंचलाधिकारी ने अपने उपस्थिति में याचिकाकर्त्ता के जमीन की चहारदिवारी का निर्माण नहीं कराये जाने के कारण यह मामला एम0जे0सी0 में परिणत हो गया है। वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सिंहवाड़ा/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को निदेश दिया गया कि अंचलाधिकारी, सिंहवाड़ा को अपनी उपस्थिति में याचिकाकर्त्ता के जमीन की चहारदिवारी का निर्माण करवा कर कारणपृच्छा दाखिल करवाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।<br>सी0डब्लू0जे0सी0 विकास चन्द्र उर्फ गुड्डु बाबा बनाम राज्य में अगली सुनवाई दिनांक 20.02.2014 को निर्धारित है। याचिकाकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक सी0डी0 जमा की गयी है, जिसके अनुसार अभी भी डी0एम0सी0एच0 परिसर में अतिक्रमण मौजूद है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इन अतिक्रमणों को हटाकर पुनः प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का निदेश दिया गया। निदेश दिया गया कि सी0डी0 की प्रति प्राप्त कर उसके आलोक में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सुनिश्चित करावेंगे। | प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा/ स्थापना उप समाहर्त्ता, दरभंगा/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सिंहवाड़ा |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा द्वारा बताया गया कि सी0डब्लू0जे0सी0 आदित्य नारायण चौधरी बनाम राज्य सरकार का मामला, जो दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय परिसर मे स्थित पार्क में अवस्थित निर्मल सिंह की मूर्ति को हटाये जाने से संबंधित है मे सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 30.01.2014 के पूर्व मूर्ति को हटाकर प्रति शपथ पत्र दाखिल करवाने का निदेश प्राप्त है। उपरोक्त निदेश से वरीय पुलिस अधीक्षक एवं प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय को अवगत कराया जा चुका है, परन्तु प्राचार्य, डी0एम0सी0 द्वारा एक पत्र इस संदर्भ में भेजा गया है कि मूर्ति के हटाये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन उन्हें ही करना है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को निदेश दिया गया कि वे आदेशित मूर्ति हटाने के संबंध मे माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में स–समय कार्रवाई हेतु संबंधित पक्षकार को लिखेंगे। | वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा/प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय |
| 3. | कब्रिस्तान घेराबन्दी की समीक्षा के कम में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, दरभंगा–1 द्वारा बताया गया कि उन्हें 25 कब्रिस्तानों के घेराबन्दी का प्राक्कलन समर्पित करना था, जिसके विरूद्ध 10 प्राक्कलन समर्पित किया जा चुका है। 11 कब्रिस्तानों की घेराबन्दी विभिन्न कारणों से नहीं हो सकती है, जिसके संबंध में उनके द्वारा प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है, शेष 4 कब्रिस्तानों की घेराबन्दी का प्राक्कलन इस सप्ताह में समर्पित करने का निदेश उन्हें दिया गया।<br>कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बेनीपुर–2 द्वारा बताया गया कि उन्हें जितना प्राक्कलन समर्पित करना था, शत् प्रतिशत समर्पित किया जा चुका है। | कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, दरभंगा–1 |
| 4. | जिला स्तरीय सभी विभागीय एवं तकनीकी पदाधिकारियों को अपने अधीनस्थों का Assest & Liability का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में दिनांक 15.01.14 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु मुख्यतः शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग से उक्त प्रतिवेदन अप्राप्त है। इसके अतिरिक्त भी कई विभागों से यह प्रतिवेदन अप्राप्त है, वैसे विभागों की सूची पढ़कर सुनाई गई एवं संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे आज ही उपरोक्त प्रतिवेदन सी0डी0 के साथ जिला स्थापना शाखा में समर्पित कर दें। दिनांक 15.01.14 के बाद कोई भी प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। | जिला स्तरीय संबंधित विभागीय एवं तकनीकी पदाधिकारी |
| 5. | प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग द्वारा बताया गया कि तीन माह से अधिक अवधि के लंबित जन शिकायतों के मामले में जिला पंचायत राज पदाधिकारी–7, कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0विभाग, दरभंगा–1, 7, अधीक्षक, डी0एम0सी0एच0–5, जिला कल्याण पदाधिकारी–1, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी–1, वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सिंहवाड़ा–3, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा–2, 4, प्रभारी पदाधिकारी बन्दोवस्त–1, प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा–3, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा–3, वरीय प्रभारी पदाधिकारी, तारडीह–3, प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा–1, उप निर्वाचन पदाधिकारी–2, जिला सहकारिता पदाधिकारी–1, प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा–1, वन प्रमंडल पदाधिकारी–2, ल0ना0वि0वि0–2, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा–1, भू अर्जन–1, जिला योजना पदाधिकारी–1, अवर निबंधक, दरभंगा–1, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र–1, जिला पशुपालन पदाधिकारी–1, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण–1, कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण निगम–1, कार्यपालक अभियंता, स्टेट हाईवे–1 तथा एन0एच0ए0आई0–1 आवेदन लंबित है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि तीन माह से पुराने सभी लंबित मामलों का निष्पादन इस सप्ताह में सुनिश्चित करते हुये अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करें। | संबंधित पदाधिकारी |
| 6. | बैठक में अनुपस्थित सभी पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, दरभंगा को दिया गया। | विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, दरभंगा |
| 7. | सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की समीक्षा के कम में प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि सूची सभी पंचायतों को उपलब्ध करा दी गई है और वहाँ से इसका डोर–टू–डोर वितरण किया जा रहा है। दिनांक 20.01.2014 तक दावा, आपत्ति प्राप्त करना है। सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि उपरोक्त तिथि के पूर्व शत् प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करावें। | सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी |

| | | |
|---|---|---|
| 8. | आर०टी०पी०एस० की समीक्षा के क्रम में स्थापना उप समाहर्त्ता एवं नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि गत सप्ताह में बहादुरपुर, बहेड़ी, हायाघाट, सिंहवाड़ा, जाले, तारडीह, बेनीपुर, घनश्यामपुर, किरतपुर, बिरौल, कुशेश्वरस्थान, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, जिला शिक्षा कार्यालय, अवर निबंधन कार्यालय, बहेड़ा एवं कमतौल तथा वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस सप्ताह में छापामारी/निरीक्षण का प्रतिवेदन अप्राप्त है। समीक्षा के क्रम में यह भी स्पष्ट हुआ कि तारडीह प्रखंड से विगत कई सप्ताह से छापामारी/निरीक्षण का प्रतिवेदन अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि वरीय प्रभारी पदाधिकारी, तारडीह से इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछा जाय। यह भी निदेश दिया गया कि वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को छापामारी का प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु जिलाधिकारी के स्तर से पत्राचार किया जाय। अन्य सभी संबंधित प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों एवं जिला अवर निबंधक, दरभंगा को प्रत्येक सप्ताह में काउन्टरों पर छापामारी/निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।<br>जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके अधीनस्थ कार्यालयों में आर०टी०पी०एस० का काउन्टर कार्यरत नहीं है, क्योंकि वर्ष में एक बार छात्रों का अंक पत्र/प्रमाण–पत्र प्राप्त होता है, जिसे छात्रों के बीच वितरित कर दिया जाता है। स्थापना उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि वे पूरी स्थिति से जिलाधिकारी, दरभंगा को अवगत करावेंगे एवं उनके निदेश का अनुपालन जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।<br>दाखिल खारिज से संबंधित आवेदन बिना कारण बताये अस्वीकृत कर दिये जाने का मामला प्रकाश में आ रहा है। इस आशय का समाचार प्रकाशित भी हुआ है, जिसके अनुसार दरभंगा प्रखंड में इसी प्रकार के 400 मामले अस्वीकृत कर दिये गये है। वरीय प्रभारी पदाधिकारी, दरभंगा को इसकी जॉच करने का निदेश दिया गया। अन्य प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा इस मामले में जॉच कर प्रतिवेदन समर्पित किया जा चुका है। स्थापना उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि प्राप्त सभी प्रतिवेदनों को जिलाधिकारी के समक्ष आवश्यक कार्रवाई हेतु उपस्थापित करें।<br>Synchronization की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि तारडीह–75 प्रतिशत, बिरौल 87.5 प्रतिशत, गौड़ा बौराम–87.5 प्रतिशत, मनीगाछी 87.5 प्रतिशत, बेनीपुर अनुमंडल कार्यालय 62.5 प्रतिशत, बिरौल अनुमंडल कार्यालय 82 प्रतिशत तथा सदर अनुमंडल कार्यालय 85 प्रतिशत ही गत सप्ताह में Synchronization किया गया है। जिला आई०टी० प्रबंधक को निदेश दिया गया कि वे प्रतिदिन संध्या में सभी प्रखंडों/कार्यालयों से Synchronization की स्थिति का पता करें तथा शत् प्रतिशत Synchronization करवाना सुनिश्चित करावें। संबंधित प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी तथा जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को भी शत् प्रतिशत Synchronization सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। | संबंधित पदाधिकारी/स्थापना उप समाहर्त्ता, दरभंगा/सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/जिला आई०टी० प्रबंधक, दरभंगा/जिला अवर निबंधक, दरभंगा/जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी |
| 9. | सहकारिता विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले गोदामों को संबंधित कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के माध्यम से कराये जाने का निदेश सरकार से प्राप्त हुआ है। इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि यह राशि वर्ष 2010–11 में प्राप्त हुई थी। गोदाम के निर्माण के डिजाईन में संशोधन कर प्राप्त राशि के अन्तर्गत ही गोदाम का निर्माण कराये जाने का निदेश प्राप्त हुआ है। तदनुसार कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, दरभंगा–1 एवं बेनीपुर–2 को उक्त गोदाम के प्राक्कलन में आवश्यक संशोधन करने का निदेश निर्गत करने हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी को पत्र–व्यवहार का निदेश दिया गया। | जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा |
| 10. | जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 16.12.2013 से 31.12.2013 तक दिये गये विभिन्न विद्यालयों में पोशाक एवं छात्रवृति की राशि का वितरण सामाजिक उत्सव कार्यक्रम के तहत किया गया है, परन्तु कुछ विद्यालयों में इस राशि का वितरण उपरोक्त अवधि में नहीं हो पाया। ऐसे विद्यालयों में 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच पुनः राशि का वितरण किया जायेगा। सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वे अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपरोक्त वितरण कार्य अपनी देख–रेख में करवाने का निदेश दें। | सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी |

| | | |
|---|---|---|
| 11. | दिनांक 17.01.2014 को माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा 20 सूत्री के [illegible] समीक्षा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा द्वारा बताया गया कि वरीय पुलिस अधीक्षक तथा जिला अग्रणी प्रबंधक, दरभंगा से अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है। इसके अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, दरभंगा, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, [illegible], दरभंगा से कतिपय योजनाओं का प्रतिवेदन अप्राप्त है। संबंधित पदाधिकारियों को आज ही प्रतिवेदन जिला विकास शाखा में समर्पित करने का निदेश दिया गया। जिला अग्रणी प्रबंधक को आज ही अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया तथा प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा को निदेश दिया गया कि वे दूरभाष से सम्पर्क कर वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय से अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त करें। | [illegible] |
| 12. | जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा बताया गया कि सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों/कार्यालय प्रधान को उनके अधीनस्थ पदस्थापित पदाधिकारियों/ कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि योजना के अधीन मिसिंग कन्ट्रीब्यूशन तथा नई अंशदायी पेंशन योजना से संबंधित सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों का प्रपत्र–क एवं ख में टी0भी0 नम्बर के साथ दिनांक 01.09.2005 से 31.03.2010 तक की गयीं कटौती की विवरणी भेजने का निदेश दिया गया है। इस आशय का निदेश जिलाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 10, दिनांक 04.01.2014 द्वारा संसूचित है। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों/ कार्यालय प्रधान को निदेशित किया गया कि वे उपरोक्त दोनों प्रतिवेदन दिनांक 25.01.14 के पूर्व अनिवार्य रूप से जिला भविष्य निधि कार्यालय को उपलब्ध करा दें। | जिला स्तरीय सभी निकासी एव व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी |
| 13. | उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 25.01.2014 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस निर्धारित है। इस अवसर पर उच्च विद्यालय के छात्रों के बीच निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। इस प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान पर आये छात्रों को पुरस्कृत किया जायेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अपने स्तर से निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर स्थान प्राप्त प्रतिभागियों की सूची जिला निर्वाचन शाखा भेजेंगे। | जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा |
| 14. | जिला योजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय विधायकों द्वारा कुल 154 ट्रान्सफॉर्मरों की अनुशंसा की गयी है, जिसमें से मात्र 98 का प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा द्वारा समर्पित किया गया है। इसी प्रकार सांसद योजना के तहत अनुशंसित कुल 172 ट्रान्सफॉर्मरों के विरूद्ध मात्र 65 प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा को निदेश दिया गया कि वे कल तक शत् प्रतिशत ट्रान्सफॉर्मरों का प्राक्कलन समर्पित कर दें। | कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रमंडल दरभंगा |
| 15. | शहरी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के कार्यो की समीक्षा के कम में पाया गया कि पदाधिकारियों के सरकारी आवास का विद्युत विपत्र उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। जिन कनेक्शनों के विरूद्ध रसीद कटाई भी जा चुकी है, उनका भी विद्युत विपत्र नहीं भेजा जा रहा है। कार्यपालक अभियंता, शहरी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा को निदेश दिया गया कि वे ऐसे सभी मामलों में इस माह से विद्युत विपत्र भेजना सुनिश्चित करें। | कार्यपालक अभियंता, शहरी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा |

प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोवस्त
दरभंगा।

ज्ञाप संख्या 180 /सी0, ~~लहेरियासराय~~, दिनांक 15 जनवरी, 2014.

प्रतिलिपि जिला स्तरीय सभी विभागीय/तकनीकी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा/बेनीपुर/बिरौल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोवस्त
दरभंगा।